न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशा.), बीकानेर

पीठासीन अधिकारीः— श्री यशवन्त भाकर, आर.ए.एस

एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र नम्बर मुकदमा 17/2017

अनवान :—

श्री गोपालकृष्ण शर्मा , खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर

प्रार्थी

—: बनाम :—

1— श्री श्याम भारद्वाज (विक्रेता एवं प्रबन्धक) पुत्र श्री रामनाथ भारद्वाज मैसर्स मनु मिल्क चिलिंग प्लांट चौपडा कटला के पास, रानी बाजार बीकानेर

2— श्रीमती उषा भारद्वाज पत्नि श्री श्याम भारद्वाज मैसर्स मनु मिल्क चिलिंग प्लांट चौपडा कटला के पास, रानी बाजार बीकानेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :—

1. प्रार्थी स्टेट की ओर से उनके प्रतिनिधि
2. अप्रार्थीगणों की तरफ से श्री रजत बैजल एडवोकेट

—: निर्णय :— **दिनांक 31.10.2017**

इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हे कि प्रार्थी श्री गोपालकृष्ण शर्मा, खाध सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दिनांक 26.08.2016 को अप्रार्थीपक्ष मैसर्स मनु मिल्क चिलिंग प्लांट— प्रो श्री श्याम भारद्वाज पुत्र रामनाथ भारद्वाज निवासी चौपड़ा कटला के पास रानी बाजार बीकानेर के यहां निरीक्षण दौरान आमजन में बिक्री हेतु लूज घी करीब 35 किलोग्राम एक स्टील की टंकी में रखा था। तदन्तर मिलावट का शक होने पर इस घी में से 800 ग्राम 280/— रूपये में नगद खरीद कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर चार बराबर बराबर भागों में बांटकर साफ सूखी व खाली कांच की शीशीयों में पैक करके एक सीलबन्द शीशी मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज.जयपुर को जांच हेतु भेजी गई । जिनके यहां से दिनांक 01.09.2016 को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें घी अनसेफ फूड पाया गया । तदन्तर अप्रार्थी के निवेदन पर इस घी की स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेट्री पूना से पुनः जांच करवाई गई जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 23.02.2017 की जांच में सबस्टेण्डर्ड स्तर का पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है कि अप्रार्थीगणों द्वारा सबस्टेण्डर्ड घी (लूज) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 51 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीपक्ष को जरिये नोटिस तलब किया गया । अप्रार्थीगणों की तरफ से श्री रजत बैजल एडवोकेट ने उपस्थित होकर वकालतनामा व जबाब प्रस्तुत किया तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक द्वारा अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से घी (लूज) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई । मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां घी (लूज) अनसेफ पाया गया। तदन्तर स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेटी, पुना के यहां से भी जांच करवाई गई जिसमें घी सबस्टेण्डर्ड पाया गया। स्टेट पब्लिक हैल्थ लेबोरेटी पुने की रिपोर्ट क्रमांक CFL/DO-64/17/238/2017 दिनांक 23.2.2017 अनुसार Butyro refractometer reading 40.0 to 43.0 की तुलना में 47.3 व Moisture 0.5% की तुलना में 0.070% व Free Fatty acids as Oleic Acid 3.0% की तुलना में 0.096% Reichert Value 26.0 की तुलना में 20.39 पाया गया है, जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां घी सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है, जो धारा 26 उपधारा 2 (ा) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है । प्रार्थी निरीक्षक का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 51 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीपक्ष के अधिवक्ता ने बचाव में निवेदन किया कि अप्रार्थी मनु मिल्क चिलिंग प्लान्ट की एक छोटा सा लघु उद्योग के रूप में स्थापित है जिसमें दूध को ठण्डा किया जाता है जिसमें शुद्ध घी का निर्माण पारम्पारिक पद्धति से क्रीम को बिलौ कर तपाया जाता है और तैयार घी को निथार कर छलनी में छान कर विक्रय किया जाता है। उक्त निर्मित घी स्टील की टंकी में लगभग 30–35 किलो जो निथारने, छानने हेतु रखा हुआ था उक्त घी को पूर्ण प्रक्रिया में 15–20 घण्टे लगते है अन्यथा घी में छाछ अथवा कच्चे माले के जले कुछ अंश रह जाते है। विद्वान अभिभाषक अप्रार्थीगण का यह भी कथन है कि अतिरिक्त जांच हेतु जो परीक्षण किये गये है उसमें केवल रीडिंग में असमानता के कारण अन्य कोई ऐसा विवरण अथवा ब्यौरा नहीं है जिससे की यह बात सामने आती हो की आखिर जांच हेतु लिये गये नमूने में कौनसे ऐसे विजातीय तत्व अथवा मिलावटी पदार्थ पाये गये है। पहले नमूना जांच में अनसेफ एवं द्वितीय अन्तिम नमूना जांच में सबस्टेण्डर्ड आना यह एक बेहद अन्तर का मामला है। अप्रार्थीगण द्वारा घी तैयार करने की एक प्रक्रिया परम्परानुगत प्रक्रिया है जिसमें किसी भी प्रकार के मशीन/उपकरणों का उपयोग नहीं किया जाता है। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि वरवक्त निरीक्षण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मय टीम को यह पूर्ण विश्वास था कि अप्रार्थी के यहां कोई मिलावट का कार्य नहीं है फिर भी उन्होनें जानबूझकर निरीक्षण की कार्यवाही केवल मात्र अप्रार्थी पक्ष की बाजार में साख गिराने हेतु की गई है। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि घी का निर्माण मक्खन से होता है और मक्खन में वसा एवं छाछ दोनों ही सम्मिलित होते है जो कि एफएसएस एक्ट के अन्तर्गत मिलावट के अन्तर्गत नहीं आता । रिपोर्टस अप्रार्थीपक्ष के पक्ष में जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विजातीय तत्व एवं मिलावट नहीं पाई गई है। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि एफएसएस एआई द्वारा निर्धारित मानक रीडिंगस् में असमानता हेतु कारण बताये गये है जिससे यह स्पष्ट होता है कि हर परिस्थिति में निर्धारित मानक रीडिंगस् में पाई गई असमानता के लिये उत्पादक जिम्मेदार नहीं ठहराये जा सकता । क्योंकि रीडिंगस् में असमानता प्रायः पशु के आहार,

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

विहार, मौसम, खानपान परवरिश तथा नस्ल इत्यादि कई बातों पर निर्भर करती है। विद्वान अभिभाषक का यह भी कथन है कि अप्रार्थीपक्ष के यहां वरवक्त निरीक्षण घी निर्माण प्रक्रिया के अन्तर्गत था एवं पूरी तरह से विक्रय हेतु तैयार नहीं था यानि की कच्चा माल था फिर भी इस कच्चे माल की जोर जबरदस्ती के साथ डरा धमकाकर नमूना लिया जाना न केवल प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध है अपितू एफएसएस एक्ट की धारा 26(2)ा के अन्तर्गत अमान्य है। नमूना एकत्रित करने के संबंध में उक्त अधिनियम के प्रावधानों की कोई पालना नहीं की गई है। नमूनों की जांच पब्लिक ऐनेलेसिस जयपुर एवं सीएफएल पूने लेब द्वारा पृथक–पृथक किये गये जिनके जांच परीक्षणों की रीडिंगस् में बेहद अन्तर है। इससे यह स्पष्ट है कि वरवक्त निरीक्षण अप्रार्थी के यहां कच्चे माल का नमूने लिये गये थे जो की अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत नहीं थे। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपनी बहस का समापन करते हुवे अप्रार्थीगण के विरूद्ध की गई अभियोजन कार्यवाही निरस्त फरमाई जाकर अप्रार्थीगण को दोष मुक्त किये जाने का निवेदन किया। विद्वान अभिभाषक द्वारा अपनी बहस के समर्थन में नजीरात् 2016 (2) क्राईम्स् 437(देहली हाईकोर्ट), 2016 एफएजे 439 (देहली हाईकोर्ट), 2008 (2) क्राईम्स् (देहली हाईकोर्ट), एआईआर 1983 एससी 545, 1983 एससीसी क्रिमिनल 501, 1983 (2)एससीसी 384, 1983 क्रिमिनल लॉ जनरल 980, 1983 क्रिमिनल अपील एससी 306, 1983 क्रिमिनल लॉ रिपोर्ट एससी 222, 1983 क्राईम्स् 1054 एआईआर 1999 एससी 1482, एआईआर 1979 एससी 1128 एआईआर 1985 एससी 104 1995 एससीसी क्रिमिनल 780, एवं एआईआर 2016 एससी क्रिमिनल 1262 प्रस्तुत की।

इसके खण्डन में स्टेट की ओर से विभागीय प्रतिनिधि का कथन है कि निरीक्षण कार्य 26.8.2016 को 4.00 पीएम अप्रार्थी स्थल पर किया गया था जहां वरवक्त निरीक्षण 35 केजी घी (लूज) आमजन के विक्रय हेतु रखा गया था। इस घी (लूज) का नमूना लेने हेतु अप्रार्थी पक्ष के सामने प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पूर्ण पालना की गई अर्थात नमूना गवाहों की उपस्थिति में लिया गया। नमूने हेतु जो 800 ग्राम घी लिया गया उसकी कीमत 280/– रूपये का भुगतान कर अप्रार्थी विक्रेता से बिल प्राप्त किया गया था। प्राप्त घी का नमूना चार भागों में गवाहान के सामने कांच की शीशीओं में पृथक–पृथक सील्ड मोहर किया जाकर गवाहों के एवं विक्रेता के हस्ताक्षर करवाये गये थ। निरीक्षण स्थल पर ही मुआयना रिपोर्ट तैयार की गई इसलिए अप्रार्थीपक्ष का यह कथन मान्य नहीं की नमूना लिये जाने के संबंध में प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पालना नहीं की गई हो। विभागीय प्रतिनिधि का यह भी कथन है कि नमूना केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को नियमानुसार वास्ते जांच हेतु भिजवाया गया। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर पुनः जांच करवाने के संबंध अप्रार्थीपक्ष को नियमानुसार सूचित किया गया था। अप्रार्थी द्वारा पुनः जांच के संबंध में निवेदन किये जाने पर दूसरा नमूना जांच परिणाम हेतु सीएफएल लेब पूने को भेजा गया। प्रथम जांच के परिणाम में नमूने में लिया गया पदार्थ अनसेफ पाया गया एवं द्वितीय जांच के परिणाम में नमूने में लिया गया पदार्थ सबस्टेण्डर्ड पाया गया। विभागीय प्रतिनिधि का इस संबंध में कथन है कि प्रथम नमूना यथासंभव बाद जांच भेजा गया था जिसका परिणाम आने के बाद द्वितीय नमूना करीबन दो माह बाद अप्रार्थीपक्ष के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

निवेदन पर भेजा गया था। दो माह बाद भेजे गये नमूना जांच में जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसका लाभ अप्रार्थीपक्ष नहीं उठा सकता क्योंकि दोनों ही जांचों से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थीपक्ष के यहां से वरवक्त निरीक्षण जो नमूने लिये गये थे उसमें उसकी जांच से मिलावट होना पाया गया है अर्थात पहली जांच में अनसेफ होना एवं द्वितीय जांच में सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। ऐसा पदार्थ एक मिलावंट का पदार्थ है जो मानव उपयोग के लिये हानिकारक है। विभागीय प्रतिनिधि का यह भी कथन है कि विद्वान अभिभाषक द्वारा जो नजीराते पेश की गई है उसका लाभ अप्रार्थीपक्ष को नहीं मिल सकता क्योंकि प्रथम तो यह नजीरात् इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है एवं द्वितीय उक्त दोनों जांच रिपोर्टो से अप्रार्थीपक्ष के यहां से लिये गये नमूनों में शुद्धता नहीं पाई गई है। विभागीय प्रतिनिधि का यह भी कथन है कि अप्रार्थीपक्ष के द्वारा एफएसएस एक्ट की धारा 26(2)ा का जुर्म कारित किया जाना पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से प्रथम दृष्टिया प्रमाणित होना पाया जाता है इसलिए अप्रार्थीपक्ष को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित किये जाने की इस्तदुआ की गई।

हमने उभय पक्ष की बहस पर मनन किया । अप्रार्थीपक्ष की ओर से माननीय उच्चत्तर न्यायालयों के जो नजीराते पेश की गई है उनका भी ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह निर्विवाद है कि दिनांक 26.8.16 को 4.00 पीएम पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी मय टीम के अप्रार्थी पक्ष के यहां निरीक्षण किया था। वरवक्त निरीक्षण 35 केजी घी (लूज) निरीक्षण टीम को मिलना भी पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से स्पष्ट है। जहां तक अप्रार्थी पक्ष का यह कथन की निरीक्षण टीम के द्वारा नमूने लिये जाने के समय प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की एवं एफएसएस एक्ट पूर्ण पालना नहीं की। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अप्रार्थी का यह तर्क मान्य नहीं है। वरवक्त निरीक्षण नमूनें लिये जाते समय एफएसएस एक्ट एवं प्राकृतिक न्याय के मान्य सिद्धान्तों की पूर्ण पालना निरीक्षण टीम द्वारा की गई है। नमूनें अप्रार्थी एवं गवाहान की उपस्थिति में लिये गये है। लिये गये नमूनें में से प्रथम नमूना नियमानुसार जांच हेतु भेजा गया है जिसकी जांच रिपोर्ट दिनांक 1.9.2016 के अनुसार जांच परिणाम के अनुसार अनसेफ फूड पाया गया है। यह जांच रिपोर्ट आने के पश्चात एफएसएस एक्ट प्रावधानों के अन्तर्गत ही स्टेट द्वारा अप्रार्थीपक्ष को अवगत करवाया गया है। इस पर अप्रार्थी पक्ष द्वारा पुनः जांच का आवेदन किया जाकर नियमानुसार शुल्क जमा करवाये जाने के पश्चात् द्वितीय नमूना पुनः जांच हेतु भिजवाया गया। जिसकी रिपोर्ट 23.2.2017 प्राप्त हुई जिसके जांच परिणाम अनुसार घी (लूज) सबस्टेण्डर्ड पाया गया। इस संबंध में अप्रार्थी पक्ष द्वारा यह कथन किया गया है कि इन रिपोर्टो के आधार पर अप्रार्थी के विरूद्ध कोई दोष प्रकट नहीं होता है पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अप्रार्थी का यह कथन किसी भी दृष्टिकोण से मान्य नहीं है क्योकिं प्रथम जांच परिणाम के अनुसार अनसेफ फूड होना पाया गया है जबकि दो माह पश्चात करवाई गई जांच में लिये गये नमूने पदार्थ में सबस्टेण्डर्ड पाया गया है। प्रश्नगत मामले में अप्रार्थीपक्ष के यहां पाये गये घी (लूज) की सैम्पलिंग की दोबारा जांच करवाई जा चुकी है और दोनों ही रिर्पोट में अप्रार्थी के यहां पाया गया घी (लूज) अनसेफ एवं सबस्टेण्डर्ड का पाया गया है। पत्रावली में डायरेक्टर, रेफरेल फूड लेबोरेटी,

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

पुणे के यहां से भी जांच करवाई गई जिसकी रिर्पोट दिनांक 23.2.2017 के अनुसार अप्रार्थी के यहां पाये गये घी में Butyro refractometer reading 40.0 to 43.0 की तुलना में 47.3 व Moisture 0.5% की तुलना में 0.070% व Free Fatty acids as Oleic Acid 3.0% की तुलना में 0.096% Reichert Value 26.0 की तुलना में 20.39 पाया गया है जो निर्धारित मानक के अनुसार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी के यहां पाया गया घी (लूज) सबस्टेण्डर्ड का होना साबित होता है। लिहाजा अप्रार्थी द्वारा सबस्टेण्डर्ड का घी (लूज) विक्रय करके अधिनियम के प्रावधानों 26 (2)(ii) का उल्लंधन किया है इन दोनों ही जांचों से वरवक्त निरीक्षण मिला घी (लूज) मानव उपयोग के लिये हानिकारक है, जो की एफएसएस की धारा 26(2)ii के अन्तर्गत अपराध की श्रेणी में आता है।

चूंकि अप्रार्थीपक्ष एक छोटा खाद्य का व्यापारी है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2)ii की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी द्वारा अधिनियम के उल्लंघन के सम्बन्ध में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को मध्य नजर रखते हुवे हम अप्रार्थी के इस कृत्य के लिये धारा 51 के तहत **50,000/–** अखरे पचास हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है और अप्रार्थी पक्ष को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210 – चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में प्रार्थीपक्ष पीडीआर एक्ट/एलआरएक्ट के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही करें ।

यह निर्णय आज दिनांक 31.10.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(यशवन्त भाकर)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलकटर(प्रशासन)
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर